राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..... 180, 181, 182, 183 / 2014.....जिला.....अलवर.....

उनवान – मैसर्स वैल्यू लाईन इन्टीरियर्स प्रा0लि0, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त भिवाड़ी अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17 / 02 / 2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यें अपीले स्थगन प्रार्थना पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.01.2014 जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.12.2013 जो कि धारा 9 केन्द्रिय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) सपठित अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिए पारित किये गये है, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश पारित किये है। जिसके विरूद्ध यें अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री वैभव कासलीवाल की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी अन्तरंग सजावट (इन्टीरियर डेकोरेशन) का कार्य करती है। अलौच्य अवधियों में अपीलार्थी को राज्य के बाहर के ग्राहकों द्वारा प्रदत्त कार्य संविदा को सम्पूरित किये जाने हेतु अर्द्धनिर्मित माल राज्य के भीतर से शाखा स्थानान्तरण के तहत स्वयं के मुख्यालय / कार्य स्थल पर भिजवाया जाता है। मुख्यालय / कार्य स्थल पर माल को कार्य संविदा में वर्णित विशष्टीकरण (Specification) अनुसार तैयार किया जाकर कार्य	

अपील स.	वर्ष	क.नि. दिनांक	कुल सर्जित मांग	उपायुक्त अपील्स द्वारा स्थगन	चाहा गया स्थगन
180 / 14	09–10	16.12.13	185953	105356	27919
181 / 14	10–11	16.12.13	5849299	3430674	2247091
182 / 14	11–12	16.12.13	6162252	3746050	1728899
183 / 14	12–13	16.12.13	6707679	4231974	2264106

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2014	–: 2 :– संविदा में प्रयुक्त किया जाता है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के भीतर से माल का संचलन मुख्यालय/स्वयं के कार्य स्थलों के लिये किया जाता है, जो कि अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि शाखा स्थानान्तरण की श्रेणी में आता है। इन संव्यवहारों के लिए अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2009–10 व 2010–11 के लिये केन्द्रिय अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत विहित घोषणा पत्र प्रपत्र ''एफ'' भी प्रस्तुत कर दिये गये थे। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त प्रपत्र ''एफ'' में अंकित इन्द्राजों को मिथ्या प्रमाणित नहीं किया है। तथा यह भी कथन किया कि घोषणा पत्रों को अस्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप अन्तर्राज्यीय व्यवहार मानते हुए किये गये कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपील केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत राज्य की उच्चतम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अग्रिम कथन यह भी किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अलौच्य अवधियों में कुछ क्रय आदेशों के आधार पर समस्त शाखा स्थानान्तरण को अस्वीकार किया है। जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि राज्य के बाहर/अन्तर्राज्यीय विक्रय में प्रत्येक संव्यवहार की प्रकृति निर्धारण किये बिना करारोपण नहीं किया जा सकता। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा शाखा स्थानान्तरण के तहत किये गये विक्रय को पूर्णतया विनिर्मित माल का अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में माल का विक्रय माना है जबकि अपीलार्थी द्वारा कार्य संविदा की पूर्ति हेतु अर्द्धनिर्मित माल स्वयं के मुख्यालय/कार्य स्थल को माल प्रेषित किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहारों की उचित प्रकृति का निर्धारण किये बिना कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है जिनके विरूद्ध अपीलीय स्तर पर अपीलें लम्बित है। अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलों में वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त अनुसार स्थगन प्रदान कर विधिक भूल की है जबकि प्रथम दृष्टया अपीलों में सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। अतः अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित करते हुए चाहा गया पूर्ण स्थगन स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। (1.) (2009) 24 टैक्स अपडेट 319 (CSTAA NEW DELHI) मैसर्स रीको इण्डिया लि0 बनाम आयुक्त व्यापार कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2014	–3– (2.) (2004) 134 STC 473 (S.C) मैसर्स अशोक लिलैण्ड लि0 बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू। (3.) (1998) STTO Vol. 9 Page 66 मैसर्स सुनील सिनकेम लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी। (4.) (2011) 46 VST 179 (AP) भारत इलेक्ट्रोनिक्स बनाम डिप्टी कमीशनर। (5.) (1983) 53 STC 88 (All.) फ्लोरमोर प्रा0लि0 बनाम बिक्री कर आयुक्त। (6.) भूषण पावर एण्ड स्टील लि0 बनाम उड़ीसा राज्य (उड़ीसा उच्च न्यायालय) W.P (C) No. 27427/2011 निर्णय दिनांक 02.12.2011 प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर राज्य के बाहर के ग्राहकों द्वारा अपीलार्थी के मुख्यालय को प्राप्त क्रय आदेशों एवं संविदाओं की प्रतियां पाई गई है। जिनमें वर्णित विशिष्टीकरण (Specification) के अनुसार माल तैयार किया जाकर राज्य के बाहर के ग्राहकों के कार्य स्थल पर सप्लाई किये जाने हेतु माल का संचालन अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3ए के तहत किया जाता है। स्वयं के मुख्यालय/कार्य स्थलों को माल केवल ग्राहकों को क्रय आदेशों में वर्णित Specification अनुसार सप्लाई किया जाता है। ऐसे संव्यवहार अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में विक्रय होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने विधि सम्मत रूप से करारोपण किया है। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की नियत से विक्रय संव्यवहारों को कर मुक्त दर्शाते हुए शाखा स्थानान्तरण घोषित कर त्रैमासिक विवरण पत्रों में गलत घोषणा किये जाने के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी उचित आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त सारणी अनुसार आलौच्य अवधियों में वसूली पर रोक स्वीकार करते हुए पर्याप्त राहत प्रदान कर दी गई है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इन अपीलों को अस्वीकार करने पर बल दिया है। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने, कर निर्धारण आदेशों, अपील आधारों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा वसूली योग्य मांग के	

उनवान – मैसर्स वैल्यू लाईन इन्टीरियर्स प्रा0लि0, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त भिवाड़ी अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17 / 02 / 2014

आंशिक स्थगन के विरूद्ध यें अपीलें प्रस्तुत की गई है। प्रकरणों में संव्यवहारों की प्रथम दृष्टया माल के कार्य संविदा के तहत राज्य के बाहर माल का संचालन प्रतीत होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेशों में कुछ संविदाओं (Work Order) व क्रय आदेशों का अवलम्बन लेते हुए समस्त संव्यवहारों को अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) के तहत विक्रय मानकर करारोपण किया है। उक्त परिस्थितियों में व न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में प्रकरणों के गुणावगुणों को प्रभावित किये बिना यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आलौच्य अवधियों में अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये वसूली पर रोक आदेशों के अतिरिक्त निम्नप्रकार अवशेष वसूली पर रोक इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दो–दो मोतबीर जमानतें उनकी सन्तुष्टि अनुरूप प्रस्तुत करें :–

अपील स.	वर्ष	स्वीकृत स्थगन
180 / 14	09–10	27,919
181 / 14	10–11	22,47,091
182 / 14	11–12	17,28,899
183 / 14	12–13	22,64,106

उक्त अनुसार जमानतें प्रस्तुत नहीं करने पर यह रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

परिणामस्वरूप वसूली पर रोक संबंध में प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

17-2-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
17/02/14